

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत घोसी
जनपद-मऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक 29 फरवरी, 2024

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सेक्टर कार्यक्रम के 'सीवरेज एवं जल निकासी योजना' के अन्तर्गत नगर पंचायत घोसी, जनपद-मऊ में विभिन्न स्थानों पर कवर्ड आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य से संबंधित परियोजना हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किशत की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-313/न0पं0घोसी/2023-24, दिनांक 14.07.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में 'सीवरेज एवं जल निकासी योजना' के अन्तर्गत नगर पंचायत घोसी, जनपद-मऊ में विभिन्न स्थानों पर कवर्ड आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य से संबंधित परियोजना हेतु कुल रूपये 1721.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं उसके सापेक्ष प्रथम किशत के रूप में रूपये 500.00 लाख (रू० पांच करोड़ मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय निम्नांकित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

- (1) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकायों द्वारा प्रस्तुत बिल सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी /सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी द्वारा निकायों के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। निकायों द्वारा स्वीकृत धनराशि निर्धारित अवधि में उन्हीं कार्यों पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है। आहरित धनराशि किसी अन्य डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।
- (2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड -6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (3) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि का व्यवर्तन अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
- (4) कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।
- (5) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का आहरण कोषागार से सुसंगत नियमों/प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।
- (6) कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जायें।
- (7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों/समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (8) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करते हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
- (9) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, इसकी पुष्टि कर ली जाय।

- (10) कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत डिस्पले बोर्ड' पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था कार्य प्रारम्भ होने, कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा। कार्य प्रारम्भ होने, कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।
- (11) अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए वर्क ऑर्डर निर्गत करने के उपरान्त ही निकाय द्वारा स्वीकृत कार्यो हेतु व्यय की जायेगी।

2- इस संबंध में संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागो/उपक्रमो में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 5,00,00,000 (रुपये पांच करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2215021070300 सीवरेज एवं जलनिकासी हेतु व्यवस्था मानक मद 35 पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या- E-9-510-X-2023-24, दिनांक- 29 फरवरी, 2024 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,
29.02.2024
(कल्याण बनर्जी),
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या- 333(1)/2024/नौ-5-2024 /001-Com.No.-1756627, तद् दिनांक।


प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
- 3- जिलाधिकारी, मऊ।
- 4- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, मऊ, उत्तर प्रदेश।
- 5- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
- 6- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
- 7- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
- 8- निजी सचिव, मा० मंत्री जी, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
- 9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
- 10- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,
29.02.2024
(कल्याण बनर्जी),
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

शासनादेश संख्या- 333 /2024/नौ-5-2024/001-Com.No.-1756627, दिनांक 29.02.2024 का संलग्नक

क्र०सं०	निकाय का नाम	प्रस्तावित कार्य	आगणित धनराशि	प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	नगर पंचायत घोसी, जनपद-मऊ	1- नगर पंचायत घोसी के वार्ड नं०-08 मु० करीमुद्दीन दक्षिणी में हनुमान मंदिर से तहसील एवं ब्लाक मुख्यालय होते हुए यहिया मार्केट तक कवर्ड आर०सी०सी० नाला का निर्माण कार्य।	192.00	
		2- नगर पंचायत घोसी के वार्ड नं०-10 मु० मदापुर पूर्वी में एल०आई०सी० कार्यालय से बाहा तक कवर्ड आर०सी०सी० नाला का निर्माण कार्य।	190.00	
		3- नगर पंचायत घोसी के वार्ड नं०-08 करीमुद्दीनपुर दक्षिणी में अजय आर्या के मकान से बृजेश गुप्ता के मकान तक पूरब पटरी पर कवर्ड आर०सी०सी० नाला का निर्माण कार्य।	165.00	
		4- नगर पंचायत घोसी के वार्ड नं०-14 मदापुर खास में छविनाथ विश्वकर्मा के मकान से तहसील होते हुए जायसवाल मार्बल तक पूरब पटरी पर कवर्ड आर०सी०सी० नाला का निर्माण कार्य।	194.00	
		5- नगर पंचायत घोसी के वार्ड नं०-04 मु० कस्बा खास पूर्वी में शर्मा हार्डवेयर से बाहा तक पूरब पटरी पर कवर्ड आर०सी०सी० नाला का निर्माण कार्य।	195.00	
		6- नगर पंचायत घोसी के वार्ड नं०-09 बड़ागांव पश्चिमी में बस स्टैण्ड से पकड़ी मोड़ होते हुए इमामबाड़ा गेट के आगे तक पश्चिम पटरी पर कवर्ड आर०सी०सी० नाला का निर्माण कार्य।	196.00	
		7- नगर पंचायत घोसी के वार्ड नं०-09 बड़ागांव पश्चिमी में मधुबन मोड़ पर रेलवे ढाला से अशोक लाल श्रीवास्तव को मकान होते हुए इमामबाड़ा के आगे तक पूरब पटरी कवर्ड आर०सी०सी० नाला का निर्माण कार्य।	198.00	
		8- वार्ड नं०-03 मु० बड़ागांव उत्तरी में नगर सीमा से आनन्द चौधरी का मकान होते हुए इमामबाड़ा पुलिया तक पश्चिम पटरी पर कवर्ड आर०सी०सी० नाला का निर्माण कार्य।	195.00	
		9- वार्ड नं०-03 मु० बड़ागांव उत्तरी में नगर सीमा से मोती राजभर का मकान होते हुए राधे-श्याम के आगे पुलिया तक पूरब पटरी पर कवर्ड आर०सी०सी० नाला का निर्माण कार्य।	196.00	
		योग	1721.00	500.00
		कुल योग	1721.00	500.00


 (कल्याण बनर्जी),
 संयुक्त सचिव,
 उत्तर प्रदेश शासन।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-29/02/2024

प्रेषण संख्या:- 333
आवंटन आदेश संख्या:- 001-333-2024-9-5-2024-001-CN-1756627
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनेत्तर-मतदेय)
02 - मल-जल तथा सफाई
107 - मल - जल सेवाएं
03 - सीवरेज एवं जलनिकासी हेतु व्यवस्था

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	मऊ-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000000 61100000	50000000 61100000
	योग	वर्तमान प्रगामी	50000000 61100000	50000000 61100000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पाँच करोड़
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया छः करोड़ ग्यारह लाख


(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव